राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1591/2024

जितेन्द्र कुमार जोशी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2024

आदेश की दिनांक : 12.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रवक्ता, रसायनशास्त्र के पद पर राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बूंदी किया गया और आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग की अनुमति आदेश दिनांक 14.09.2020 के द्वारा विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में पीएचडी कर रहा है और 2 वर्ष से अधिक का समय पीएचडी के अध्ययन में व्यतीत हो चुका है, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने पीएचडी अध्ययन के मध्य में ही अपीलार्थी का जिले से बाहर स्थानान्तरण किया है और जबकि आदेश दिनांक 13.06.2022 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पीएचडी अध्ययन हेतु पदस्थापित पॉलिटेक्निक संस्थान से उच्च अध्ययन संस्थान के मध्य दूरी 80 कि.मी. से अधिक न हो जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जिससे अपीलार्थी का अध्ययन प्रभावित होगा। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया जाना प्रकट होता है, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर जनहित में किया गया है और राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.06.2022 जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राज्य सरकार प्रशासनिक कारणों से किसी भी समय उच्च अध्ययन की अनुमति समाप्त कर सकती है और इस प्रकार अपीलार्थी का प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किया गया है, जो जयपुर जिले से बूंदी जिले में किया गया है, जो नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रवक्ता, रसायनशास्त्र के पद पर राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बूंदी किया गया। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 14.09.2020 के अवलोकन से

स्पष्ट है कि अपीलार्थी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में पीएचडी कर रहा है और 2 वर्ष से अधिक का समय पीएचडी के अध्ययन में व्यतीत हो चुका है, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने पीएचडी अध्ययन के मध्य में ही अपीलार्थी का जिले से बाहर स्थानान्तरण किया है और जबकि आदेश दिनांक 13.06.2022 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पीएचडी अध्ययन हेतु पदस्थापित पॉलिटेक्निक संस्थान से उच्च अध्ययन संस्थान के मध्य दूरी 80 कि.मी. से अधिक न हो जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो 80 कि.मी. से दूर किया गया है, जिससे अपीलार्थी का अध्ययन प्रभावित होना लाजमी है। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किये गये कार्यालय आदेश दिनांक 13.06.2022 के विपरीत है तथा बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया जाना प्रकट होता है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील उपरोक्त तर्कों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 22.02.2024 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार 80 कि.मी. के अंदर करने के लिये स्वतंत्र है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)